निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार

श्री के.आर.चौहान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(RAS)देवगढ़

केम्प माद

प्र.सं 115/2012 रे.वाद **निर्णय दिनांक 04.06.2018**

अनवान

1. शान्ति पुत्री श्रीमति सोनी बाई पत्नि जोधा रेगर पत्नि शंकर रेगर नि. गंगापुर तह. सहाडा जिला भीलवाड़ा
2. छेउ पुत्री श्रीमती सोनी बाई पत्नि जोधा रेगर पत्नि प्रकाश रेगर नि. मनोहरपुरा तह. माण्डल भीलवाड़ा

........वादीगण

बनाम

1. श्रीमति सायरी पत्नि स्व. जोधाराम रेगर नि. ग्राम खारा कमेरी तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
2. श्री मोहनलाल पिता नानजी रेगर रेगर नि. ग्राम खारा कमेरी तह. देवगढ़ जि. राजसमंद
3. श्री गोकलचन्द पिता नानजी रेगर नि. ग्राम खारा कमेरी तह. देवगढ़ जि. राजसमंद

...........प्रतिवादीगण

रे.वाद अर्न्तगत धारा 88–89–90 राज. ले. रे. एक्ट

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम कमेरी प.ह. माद तह. देवगढ़ में स्थित खा.नं. 53/46 ख.नं. 619/1 रकबा 6.01 बीघा स्थित हैं का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 मोहनलाल गोकलचन्द पुत्रान नानजी रेगर का 1/2 हिस्सा हैं व उसी हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त हैं। आराजियात में श्री जोधा का 1/2 हिस्सा था जो जोध के स्वर्गवास दिनांक 15.9.2009 को हो गया उसके बाद उसकी आराजियात की मालिक उसकी नातायत पत्नि श्रीमति सायरी एवं उसकी जाइन्दा पुत्री श्रीमति सोनी थी। जब विरासत से ना.क. खोला जाने लगा। तब दिनांक 9.6.2010 को श्री जोध की जाइन्दा पुत्री श्रीमति सोनी ने एक प्रा. पत्र विरासत से खाता खुलवाने बाबत् तहसील देवगढ़ में प्रस्तुत किया जिस पर ग्रा.पं. कमेरी व तहसीलदार द्वारा ना.क. जो श्रीमति सोनी की अनुपस्थिती में उसे बिना सूचना दिये श्री शिवलाल पिता जोधाराम व सायरी पत्नि स्व. जोधाराम रेगर के नाम जमाबंदी में अंकन बाबत् लिख दिया उसी में सोनी के प्रा.पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा उक्त ना.क. को निरस्त कर दिया एवं आराजीयात जोधा पिता माना 1/2 के नाम बदस्तुर जमाबंदी में अंकन के आदेश हो गये। हमारी माता का स्वर्गवास दिनांक 22.10.2011 को हो गया जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद के साथ संलग्न हैं। सोनी बाई का नाम राजस्व रेकार्ड में नहीं होने की जानकारी हमे दिनांक 11.1.2012 को पटवारी हल्का से राजस्व रेकार्ड की नकल लेने पर हुई। तब हमें मालुम हुआ कि ना.क. खारिज हो गया है एवं राजस्व रेकार्ड में अभी भी जोधा पिता माना रेगर का नाम दर्ज है विरासत से कोई ना.क. नहीं खोला गया हैं। हम दोनों वादियागण सोनीबाई पुत्री जोधा की जाईन्दा पुत्रिया हैं। उनके जाईन्दा पुत्र नहीं हैं। हम दोनों सोनीबाई के हिस्से की आराजियात 1/4 की मालिक व काबिज है एवं विरासत से ना.क. नहीं खुला हैं इसलिये हम वादीगण का नाम कुलिया आराजियात में 1/4 हिस्से के रूप में घोषणा कराई जानी आवश्यक हैं। पूरा ना.क. बाद में ग्राम पंचायत में जांच कर दिनांक 7.7.2010 को निरस्त कर दिया। जोधा की आराजियात में शिवलाल का कोई हक व स्वामित्व नहीं हैं। माताजी सोनीबाई की माई मां होने से जोधा की आराजियात में उनका

1/4 हिस्सा व सोनी बाई का 1/4 हिस्से के मालिक काबिज व उतराधिकारी हैं। हम वादियागण की माताजी का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं होने की जानकारी हमें दिनांक 11.1.2012 को ना.क. की नकल लेने पर हुई कि हमारी माता का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हैं तथा पूर्व में विरासत से ना.क. खारिज कर लिया गया हैं उक्त आराजियात के सहभागीदार श्री मोहनलाल व गोकलचन्द पुत्रान नानजी रेगर हैं जिनका कुलिया आराजियात में 1/2 हिस्सा हैं जिन्हें प्रकरण में प्रतिवादी सं. 2 व 3 बनाया गया हैं। अतः वादीगण का वादी स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कमेरी प.ह. माद तह. देवगढ़ की खा.नं. 53/46 ख.नं. 619/1 रकबा 6.01 बीघा भूमि में श्री जोधा पिता मानाजी का 1/2 हिस्सा है उसमें सायरी का अंकन कराने की घोषणा फरमाई जावें तथा इसी आशय की डिकी प्रदान कराई जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वादपत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युतर में प्रतिवादीगणने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प माद मं नियत कर पक्षकारान के सूचना पत्र जारी किये गये। नियत दिनांक को उमय पक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित हुऐ जिन्होंने दावे अनुसार वाद का निस्तारण करने बाबत् निवेदन किया।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं तथा ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तह. देवगढ़ में स्थित खा.नं. 53/46 ख.नं. 619/1 रकबा 6.01 बीघा में श्री जोधा पिता माना जी का 1/2 हिस्सा हैं उसमें से 1/4 हिस्सा वादीया श्रीमति शान्ति व देउ का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 सायरी का 1/4 राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादी सं. 2 व 3 मोहन एवं गोकलचन्द का 1/2 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है जो बदस्तुर रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 4.6.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प माद में मझमें आम सुनाया गया तदनुसार डिकी जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर
देवगढ़ जिला राजसमंद